न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जीतेन्द्र सिंह नरूका

सिविल प्रकरण संख्याः– 31/2016

तारीख रजू 17.10.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. पंजूमल पुत्र श्री लोकूमल भूरजानी निवासी म0नं0 184 एम.पी. कॉलोनी, बजरिया सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स दौलत किराना एण्ड जनरल स्टोर बजरिया सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर
2. रतन लाल पुत्र कन्हैयालाल निवासी 174 एम.पी. कॉलोनी बजरिया, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (प्रोपराईटर) मैसर्स कन्हैया लाल रतन लाल पुराना खण्डार रोड शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर
3. अशोक कुमार गोयल पुत्र श्रीराम गोयल निवासी 131/132 झोटवाडा इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर (प्रोपराईटर) मैसर्स शिवम फूड प्रोडक्टस 166 बी, 166 सी झोटवाडा इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर (निर्माता)

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

दिनांक 27/02/2024

निर्णयः–

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 26.11.2015 को समय 02.00 पी.एम. पर मैसर्स दौलत किराना एण्ड जनरल स्टोर बजरिया सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोपुर पर पहुंचा वहॉ पर राकेश पंजूमल पुत्र श्री लोकूमल भूरजानी निवासी म0नं0 184 एम.पी. कोलोनी, बजरिया सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर मिला, जिसको आवेदक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति पेश की तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **सरसो का तेल (शिवम ब्राण्ड) 500 मिली लीटर पैक बोतल लगभग 25 पैक बोतल** दुकान की रेक में रखी हुई थी, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली

न्याय निर्णयन अधिक
एवं अति. जिला मजिस्ट्र

गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **सरसो का तेल (शिवम ब्राण्ड) 500 मिली लीटर पैक बोतल** के चार पैके बोतल वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 180/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ **सरसो का तेल (शिवम ब्राण्ड) 500 मिली लीटर पैक बोतल** के चारो पैक बोतल को मूल ही लेकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **एच 777** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता पंजूमल पुत्र लोकूमल भूरजानी एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहॉ जिसे विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कैलाश चन्द सैन वाहन चालक द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियॉ के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गईं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक/एफएसएसए/2016/545 दिनांक 22.02.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4012/एक्ट/2015/457 दिनांक 04.02.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **सरसो का तेल (शिवम ब्राण्ड) अनसेफ पाया गया। विक्रेता द्वारा रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद हेतु आवेदन किया गया जिसमें जांच सर्टिफिकेट के अनुसार मिसब्राण्ड** (Misbranded) **एवं सबस्टेण्डर्ड** (Substandard) पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने **सबस्टेण्डर्ड** (Substandard)**एवं मिसब्राण्ड** (Misbranded) खाद्य पदार्थ **सरसो का तेल (शिवम ब्राण्ड)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर स में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा **सबस्टेण्डर्ड** (Substandard)**एवं मिसब्राण्ड** (Misbranded) प्रकृति के द्य पदार्थ **सरसो का तेल (शिवम ब्राण्ड)** का विकय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 06 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 06 की धारा 51 एवं 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से ण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कथन जिस प्रकार से वर्णित है कि अभियुक्त द्वारा कोई **सबस्टेण्डर्ड (Substandard)एवं मिसब्राण्ड** (Misbranded) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **सरसो का तेल (शिवम ब्राण्ड)** का विकय एवं निर्माण किया हो, गलत है तथा अस्वीकार है। अभियुक्तगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड एवं 3(1)(zf) के अन्तर्गत मिसब्राण्ड व खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) अधिनियम 2011 के रेगूलेशन 2.2.2:3[v(iv)] का उल्लघंन किये जाने का बयान किया गया है परन्तु उत्तर देने वाले प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 3 ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड एवं 3(1)(zf) के अन्तर्गत मिसब्राण्ड व खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) अधिनियम 2011 के रेगूलेशन 2.2.2:3[v(iv)] का उल्लघंन किये जाने का कोई भी अपराध नहीं बनता है क्योंकि खाद्य विश्लेषक जयपुर की लेब रिपोर्ट तथा रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद की रिपोर्ट में काफी अन्तर है। इस प्रकार लेब रिपोर्ट को सही नहीं माना जा सकता है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए न्याय निर्णयन आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4012/एक्ट/2015/457 दिनांक 04.02.2016 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया खाद्य पदार्थ **सरसो का तेल (शिवम ब्राण्ड) अनसेफ** पाया गया। जिसके उपरान्त विकेता द्वारा **रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद** में नमूने की पुनः जांच हेतु आवेदन किया गया जिसमें जांच सर्टिफिकेट के अनुसार **खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड (Substandard) एवं मिसब्राण्ड** (Misbranded) पाया गया। अभियुक्तगण का यह कथन कि दोनो लेब रिपोर्ट में अन्तर आने के कारण संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए मान्य नहीं हैं, क्योकि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर ही नमूने को रेफरल लेब में जांच हेतु भिजवाने का निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट का रेफरल लेब गाजियाबाद की रिपोर्ट के बाद कोई महत्व नहीं रह जाता है। रेफरल लेब गाजियाबाद की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक (Substandard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

न्याय निर्णयन अधिकारी

अतः अभियुक्तगण को अवमानक (Substandard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (शिवम ब्राण्ड) का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 एवं 52 के अन्तर्गत अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 3 पर संयुक्त रूप से 25,000 रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगणों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने नियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जीतेन्द्र सिंह नरूका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर